



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1936 (श0)  
(सं0 पटना 337) पटना, वृहस्पतिवार, 26 फरवरी 2015

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं

13 फरवरी 2015

सं0 10/मु. 1-53/2014-101—बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम संख्या-31, 1982) की धारा-22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल विद्यालयों के प्रबंध समिति के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**—(1) यह बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2015कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और राज्य के मध्यमा स्तर तक के सभी प्रस्वीकृति प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के लिए यह नियमावली बाध्यकारी होगी।

(3) यह नियमावली तुरंत प्रवृत्त होगी और इस नियमावली के अन्तर्गत प्रबंध समिति का गठन आरम्भ हो जायेगा। नई प्रबंध समिति के गठन के साथ ही पुरानी समिति या तदर्थ समिति जो जहाँ है, स्वतः समाप्त हो जायेगी।

**2. परिभाषाएँ।**—इस नियमावली में, जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो —

- (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;
- (ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग;
- (iii) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम-1981;
- (iv) 'बोर्ड' से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड;
- (v) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष;
- (vi) 'सचिव' से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव;
- (vii) 'प्रस्वीकृत' से अभिप्रेत है बिहार सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्वीकृत अराजकीय संस्कृत (मध्यमा स्तर तक) विद्यालय ;
- (viii) 'विद्यालय' से अभिप्रेत है बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्वीकृत अराजकीय संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक);
- (ix) 'प्रधानाध्यापक' से अभिप्रेत है प्रस्वीकृत अराजकीय संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) के प्रधानाध्यापक;

- (x) 'सहायक शिक्षक' से अभिप्रेत है प्रस्वीकृत अराजकीय संस्कृत विद्यालयों (मध्यमा स्तर तक) के विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षक;
- (xi) 'विद्यालय प्रबंध समिति' से अभिप्रेत है बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2015 के नियमों के अधीन गठित प्रबंध समिति;
- (xii) 'मध्यमा स्तर' तक की अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों से अभिप्रेत है :—  
 (क) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक संस्कृत विद्यालय—वर्ग एक से पांच वर्ग तक।  
 (ख) अराजकीय प्रस्वीकृत मध्य संस्कृत विद्यालय—वर्ग छह से आठ वर्ग तक।  
 (ग) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक—सह—मध्य संस्कृत विद्यालय—वर्ग एक से आठ वर्ग तक।  
 (घ) अराजकीय प्रस्वीकृत माध्यमिक संस्कृत विद्यालय—वर्ग छह से दस वर्ग तक।  
 (ङ) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक—सह—उच्च संस्कृत विद्यालय—वर्ग एक से दस वर्ग तक।
- (xiii) शिक्षकेत्तर कर्मचारी से अभिप्रेत है अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत (मध्यमा स्तर तक) विद्यालय के शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी पूर्णकालिक कर्मचारी;
- (xiv) आधुनिक विषय से अभिप्रेत है (क) मानविकी विषय समूह (ख) विज्ञान विषय समूह (ग) गणित (घ) व्यवसायिक विषय समूह (ङ) ललित कला (च) गृह विज्ञान।

**3. विद्यालय प्रबंध समिति का गठन।** — (1) मध्यमा स्तर तक के प्रत्येक अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के लिये निम्नांकित सदस्यों को मिलाकर एक प्रबंध समिति का गठन होगा :—

- (i) विद्यालय का प्रधानाध्यापक— पदेन;
- (ii) एक शिक्षक प्रतिनिधि, जिसे प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के शिक्षकों में से वरीयता के अनुसार वार्षिक चक्रानुक्रम के द्वारा मनोनीत करेंगे;
- (iii) स्थानीय विधान—सभा सदस्य/परिषद् सदस्य (यदि उस क्षेत्र में हो)/ लोक सभा सदस्य/राज्य सभा सदस्य (यदि उस क्षेत्र में हो)/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी;
- (iv) दो दाता सदस्य जिन्होंने चल या अचल सम्पत्ति के रूप में अथवा दोनों रूपों में न्यूनतम 10,000/— (दस हजार) रुपये विद्यालय को दान दिया हो, किन्तु चल सम्पत्ति के रूप में दी गई दान राशि विद्यालय के पासबुक में जमा की गई हो अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में दी गई सम्पत्ति जिसका न्यूनतम मूल्य 10,000/— है, का उपयोग विद्यालय में हो रहा हो। दाता सदस्यों की घोषणा (आजीवन दाता एवं सामान्य दाता) आवश्यक छानबीन कर अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड करेंगे;
- (v) दो अभिभावक प्रतिनिधि (एक पुरुष एवं एक महिला) जो संबद्ध विद्यालय के ऐसे नियमित छात्र/छात्रा का अभिभावक हो, जो कम-से-कम दो वर्ष से उस विद्यालय में अध्ययन कर रहा हो और विद्यालय परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया हो। अभिभावक प्रतिनिधि विद्यालय का न तो शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी होंगे तथा न ही प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी के सगे-संबंधी होंगे;
- (vi) दो शिक्षा प्रेमी, जिनमें एक संस्कृत का लब्धप्रतिष्ठित विद्वान हो, यदि संस्कृत का लब्धप्रतिष्ठित विद्वान उपलब्ध नहीं हो तो उसके स्थान पर किसी संस्कृतानुरागी विद्वान को लिया जा सकेगा।
- (vii) समिति के सदस्य के रूप में एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त सदस्यों की विद्यालय प्रबंध समिति गठित होगी।

**4. दाता सदस्य।** —(1) जहाँ दो से अधिक दाता हों वहाँ प्रत्येक तीन वर्ष पर चक्रानुक्रम से दाता सदस्य चुने जायेंगे, प्रथमतः दाताओं के द्वारा अधिकतम दान—राशि के अनुसार और दान—राशि समान रहने पर दान की तिथि अथवा तिथि की समानता में लौटरी पद्धति द्वारा सदस्यों का चयन किया जाएगा।

(2) जहाँ दाता सदस्य उपलब्ध नहीं होंगे, वह पद तब तक रिक्त होगा जब तक कि उक्त कोटि के दाता उपलब्ध नहीं होंगे।

(3) दाता सदस्य के रूप में वैसे लोग भी सदस्य हो सकेंगे जो न्यूनतम 10,000/— (दस हजार) रुपये अधिकतम चार किशतों में दो वर्षों के भीतर विद्यालय को सप्रमाण दान देंगे किन्तु दान राशि पूरी होने के बाद ही वे सदस्य होने के हकदार होंगे।

**5. आजीवन सदस्य।**—इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि के बाद जो व्यक्ति कम-से-कम 25,000/—(पच्चीस हजार) रुपये की चल या अचल सम्पत्ति के रूप में या दोनों रूप में विद्यालय को सप्रमाण दान देगा वह विद्यालय प्रबंध समिति का आजीवन सदस्य होगा। आजीवन सदस्य एक से अधिक भी हो सकेंगे। दाता सदस्य वंशागत नहीं होगा। दाता सदस्य के मृत्यु के बाद उसके वारिस (Heir) दाता सदस्य नहीं होंगे। अगर वे दान दाता

सदस्य होना चाहते हैं तो उन्हें दान के रूप में विद्यालय को सप्रमाण दान देना होगा, तभी दाता की सूची में शामिल किए जा सकेंगे।

**6. प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया। -**

- (1) बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा इस संबंध में आदेश की संसूचना के पन्द्रह दिनों के भीतर, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, विधान सभा सदस्य/सांसद अथवा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कुल तीन सदस्यों की नामिका, जहाँ एक ही दाता सदस्य हो, वहाँ कुल चार सदस्यों की नामिका तथा जहाँ दो दाता सदस्य हों वहाँ पाँच सदस्यों की नामिका बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को अनुमोदनार्थ भेजी जायेगी। उक्त नामिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भेजी जायेगी। अगर विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है तो, विद्यालय का सबसे वरीय शिक्षक नामिका भेजेंगे।
- (2) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित नाम निर्देशन की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक/प्रबंध समिति अनुमोदित सदस्यों को कम-से-कम एक सप्ताह का सप्रमाण पूर्व सूचना देकर विद्यालय भवन में बैठक का आयोजन करेगा जिसमें दो अभिभावक प्रतिनिधि और दो शिक्षा प्रेमी सदस्यों का चयन किया जायेगा। शिक्षा प्रेमी सदस्यों में एक लब्ध प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान का चयन आवश्यक होगा। यदि लब्ध प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान उपलब्ध नहीं हो तो उसके स्थान पर किसी संस्कृतानुरागी विद्वान को लिया जा सकेगा।
- (3) उक्त बैठक में अनुमोदित सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्षता करेगा जिसकी अध्यक्षता में चयन कार्य सम्पन्न किया जायेगा। तीन या पाँच अनुमोदित सदस्यों की स्थिति में, पक्ष-विपक्ष में समान मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा। चार अनुमोदित सदस्यों की स्थिति में, अध्यक्ष अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकेगा।
- (4) उक्त चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के 15 दिनों के भीतर सभी सदस्यों की कम-से-कम एक सप्ताह की सप्रमाण पूर्व सूचना देकर प्रधानाध्यापक विद्यालय भवन में बैठक का आयोजन करेगा। उपस्थित सदस्यों में से कोई एक इस बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सचिव का चुनाव सर्व सम्मति या बहुमत से किया जायेगा। इस बैठक में न्यूनतम पाँच सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। प्रधानाध्यापक और शिक्षक प्रतिनिधि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या सचिव नहीं चुने जायेंगे।
- (5) गठित विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची एक सप्ताह के भीतर प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक (सबसे वरीय शिक्षक) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को अनुमोदनार्थ भेज देगा। बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात ही विद्यालय प्रबंध समिति अपना कार्य प्रारम्भ करेगी। अगर बोर्ड ने प्रबंध समिति को अनुमोदित नहीं किया और प्रबंध समिति कार्य करना आरम्भ कर दे तो प्रबंध समिति द्वारा किया गया सभी कार्य गैर कानूनी होगा।
- (6) अनुमोदित प्रबंध समिति का कार्यकाल (बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद) तीन साल का होगा। विधिवत रूप से गठित एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रबंध समिति अपने कार्यकाल के पहले भंग नहीं की जा सकेगी। प्रत्येक तीन वर्ष के बाद नए प्रबंध समिति का गठन किया जायेगा।
- (7) यदि प्रबंध समिति विधि सम्मत कार्य नहीं करती है या सरकारी निदेशों का पालन नहीं करती है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड प्रबंध समिति को भंग कर सकेगा।
- (8) जब तक इस अधिसूचना के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति का या उसके स्थान पर तदर्थ समिति का गठन नहीं हो जाता विद्यालय की पुरानी प्रबंध समिति संस्कृत शिक्षा बोर्ड की अनुमति से कार्य करती रहेगी परन्तु पुरानी प्रबंध समिति का कार्यकाल अधिक-से-अधिक 6 माह के लिये ही बढ़ाया जा सकेगा।

**7. विद्यालय प्रबंध समिति के कृत्य और शक्तियाँ।-**राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा पारित नियमों, आदेशों तथा समय-समय पर दिये जानेवाले निर्देशों के अधीन विद्यालय प्रबंध समिति को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह ऐसे सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो विद्यालय के समुचित प्रबंध और प्रशासन एवं विकास के लिये आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त प्रबंध समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

- (i) ऐसी कोई चल या अचल सम्पत्ति जो विद्यालय के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, दान लेना, क्रय करना या पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा धन अर्जित करना और विद्यालय के लिये भवन निर्माण, निर्मित भवन में परिवर्तन, मरम्मत या विकास कार्य पर व्यय करना तथा विद्यालय सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना।
- (ii) विद्यालय के प्रयोजनार्थ अनुदान, चन्दा और दान प्राप्त करना।

- (iii) वैसे सभी धन, जो उसे अनुदान, दान और अन्य स्रोत से उपलब्ध हो उसका उचित लेखा एवं सुसंगत अभिलेख रखना, लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करना तथा विद्यालय की लेखा संपरीक्षा कराना।
- (iv) व्यय को उपलब्ध निधि के भीतर विनियमित कराना।
- (v) छात्रवृत्ति, पारितोषिक आदि के लिये सरकारी अनुदान के अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना।
- (vi) छात्रावास की स्थापना, विद्यालय के लिये क्रीड़ा भूमि, उपस्करों एवं पुस्तकालय की सम्यक व्यवस्था करना।
- (vi) ऐसी उप समितियाँ गठित करना जिन्हें वह छात्र/छात्राओं अथवा विद्यालय के विकास को आवश्यक समझे।
- (vii) विद्यालय की ओर से सभी वैधानिक कार्यवाहियाँ करना और अनुचित आरोपों का प्रतिवाद करना।
- (viii) विद्यालय के विकास के लिये और उसकी ओर से करार करना।
- (ix) विद्यालय में अनुशासन कायम रखना और शैक्षणिक स्तर के उन्नयन के लिये प्रधानाध्यापकों को समुचित सलाह देना।
- (x) विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, अवकाश, शिक्षकों की प्रोन्नति आदि के मामले में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचित अराजकीय संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तें अधिसूचना 2015 के आलोक में कार्य करना।
- (xi) वैसे सभी कार्य करना जो विद्यालय के हित में आवश्यक हो।

**8. विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव के कृत्य और शक्तियाँ।** —(1) विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव के कृत्य और शक्तियाँ वे ही होंगी, जो इस नियमावली के नियम 7 में वर्णित हैं और जिनका अनुपालन एवं प्रयोग सचिव द्वारा प्रबंध समिति के परामर्श से किया जा सकेगा।

(2) सचिव विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कम-से-कम दस दिनों की पूर्व सूचना देकर बुलायेगा। विशेष स्थिति में तीन दिनों की पूर्व सूचना देकर समिति की असाधारण बैठक बुला सकेगा। निश्चित तिथि और समय की पूर्व सूचना के साथ समिति की साधारण या असाधारण बैठक विद्यालय भवन में ही हुआ करेगी।

(3) बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय सेवा शर्तें नियमावली, 2015 में उपबंधित नियमों के आलोक में प्रधानाध्यापक से संबंधित अवकाशों को सचिव स्वीकृत करेगा।

**9. विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के कृत्य और शक्तियाँ।** —(1) अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण/विशेष सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) समिति की बैठक में समान मत आने पर अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा जो निर्णायक मत होगा।

(3) सचिव यदि विद्यालय की प्रबंध समिति की बैठक समय पर नहीं बुलावे और यदि विद्यालय के हित में बैठक बुलाया जाना आवश्यक प्रतीत हो तो प्रधानाध्यापक के परामर्श से अध्यक्ष बैठक बुला सकेगा।

(4) प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित होगा, जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

**10. तदर्थ समिति।** —(1) बिहार गजट में इस नियमावली के प्रकाशन के बाद और बोर्ड द्वारा विद्यालयों को प्रबंध समिति के गठन के आदेश की संसूचना प्राप्ति तिथि से 90 दिनों के भीतर विद्यालय प्रबंध समिति का गठन आवश्यक होगा। उक्त अवधि के भीतर जिस विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन यदि विहित समय के भीतर नहीं किया गया हो तो उसे एक मास का समय देकर बोर्ड स्पष्टीकरण की मांग करेगी और उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने अथवा संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव की स्थिति में, बोर्ड को विद्यालय प्रबंध समिति के स्थान पर तदर्थ समिति गठित करने का अधिकार होगा।

(2) उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये बिना कोई तदर्थ समिति का गठन नहीं करेगा, यदि कोई ऐसा करता है तो यह नियमानुकूल नहीं होगा। उपरोक्त प्रावधान का पालन किये बिना बोर्ड (न कि अध्यक्ष/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड) तदर्थ समिति का गठन नहीं करेगा। यदि बोर्ड ऐसा करता है तो यह नियमानुकूल नहीं होगा तथा उक्त तदर्थ समिति द्वारा किया गया सभी कार्य गैर कानूनी होगा। तदर्थ समिति बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद ही कार्य करेगी। अगर तदर्थ समिति बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अनुमोदन के पहले कार्य करती है तो इसके द्वारा किया गया कार्य गैर कानूनी होगा।

(3) तदर्थ समिति की शक्तियाँ और कृत्य वे ही होंगे जो विद्यालय प्रबंध समिति के लिये इस अधिसूचना में निर्दिष्ट किये गये हैं किन्तु तदर्थ समिति को नियुक्ति/प्रोन्नति का अधिकार नहीं होगा।

(4) तदर्थ समिति में कुल तीन या पांच सदस्य होंगे जिनमें एक सचिव और एक अध्यक्ष होगा। प्रधानाध्यापक भी इसका सदस्य अवश्य हो सकेगा किन्तु वह सचिव या अध्यक्ष नहीं होगा। तदर्थ समिति का कार्यकाल अधिकतम 6 (छह) माह का होगा। विशेष परिस्थिति में छः-छः मास की अवधि दो बार बोर्ड के आदेश से बढ़ायी जा सकेगी।

**11. विद्यालय का प्रबंध ग्रहण ।** —(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी जब बोर्ड को प्रतीत हो कि किसी विद्यालय की प्रबंध समिति ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नियमों उपनियमों के द्वारा या उसके अधीन इस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा बरती है, या वह विद्यालय के समुचित प्रबंध में असफल रही हो और लोकहित में ऐसे विद्यालय का प्रबंध ग्रहण करना आवश्यक हो गया हो तब वह ऐसे विद्यालय को प्रबंध समिति की प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अधिकतम 30 दिनों का अवसर देकर और उसकी बातों को लिखित रूप में प्राप्त कर, स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर ऐसे विद्यालय की प्रबंध समिति का विघटन कर वह तदर्थ समिति गठित कर देगा और कितनी अवधि के बाद नई प्रबंध समिति प्रबंध ग्रहण कर लेगी यह निश्चित करेगी किन्तु इस प्रकार की अवधि कुल डेढ़ वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) विशेष परिस्थिति में, यदि बोर्ड आवश्यक समझे तो ऐसे विद्यालय की प्रबंध समिति को तब तक के लिये निलंबित कर सकेगी, जब तक प्रबंध समिति के विघटन के संबंध में निर्णय नहीं हो जाता। ऐसे विद्यालय का प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा होगा।

**12. विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं प्रबंध समिति द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में विवाद का निपटारा।** —इस नियमावली के नियम 3 में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति के गठन से संबद्ध नियमों में उलट फेर या उनकी अवहेलना से व्यथित पक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के बाद 60 दिनों के भीतर बोर्ड के पास शिकायत पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।, उस अवधि के बाद किसी शिकायत की सुनवाई नहीं होगी। विहित अवधि के भीतर प्रस्तुत शिकायत की छानबीन के पश्चात बोर्ड पक्ष-विपक्ष की बातें सुनकर अपना निर्णय देगी, जो अंतिम होगा। प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार के दण्ड/निर्णय के विरुद्ध, आदेश की संसूचना प्राप्त होने की तिथि से व्यथित व्यक्ति के द्वारा 60 दिनों के अन्दर अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के यहाँ अपील दायर किया जा सकता है, एवं अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड सभी पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देंगे। बोर्ड अथवा बोर्ड के अध्यक्ष के निर्णय से व्यथित व्यक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पास अपील दायर कर सकेगा। विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण मौका देकर अपना निर्णय देंगे।

**13. विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक।** — सामान्यतः प्रत्येक वर्ष में विद्यालय प्रबंध समिति की चार बैठकें हुआ करेंगी, परन्तु बैठक अनिवार्य रूप से प्रत्येक तीन माह में अवश्य की जायेगी। न्यूनतम पाँच सदस्यों की उपस्थिति किसी बैठक में आवश्यक होगी। पदेन, दाता तथा आजीवन सदस्यों को छोड़कर कोई सदस्य लगातार समिति की तीन बैठकों में बिना समुचित कारण के अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उस रिक्ति में नये सदस्य की नियुक्ति की जा सकेगी। अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति पर भी समिति ही निर्णय लेगी और वह निर्णय अंतिम होगा।

**14. दाता सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की व्यवस्था।** — यदि दाता सदस्य चाहें तो विद्यालय प्रबंध समिति की पूरी अवधि के लिये वे अपने स्थान पर किसी को प्रतिनियोजित कर सकेंगे। परन्तु यह प्रतिनियोजन दाता सदस्य के जीवित रहने पर ही मान्य होगी।

**15. विद्यालय की स्थायी सम्पत्ति का विनिमय और विक्रय।** — विद्यालय के विशेष हित को ध्यान में रखते हुये यदि उसकी स्थायी सम्पत्ति का विनिमय या विक्रय आवश्यक प्रतीत हो तो विद्यालय प्रबंध समिति बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही ऐसा कर सकेगी किन्तु विनिमय या विक्रय से होने वाले लाभ को सप्रमाण बोर्ड को सूचित करना उसके लिये आवश्यक होगा तथा विद्यालय के सभी अभिलेख विद्यालय कार्यालय में ही सुरक्षित रखे जायेंगे।

**16. निबंधन।** —Society Registration Act, 1860 के तहत विद्यालय प्रबंध समिति का निबंधन आवश्यक होगा।

**17. निरसन एवं व्यावृत्ति।** — (1) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से प्रबंध समिति से संबंधित पूर्व की सभी नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश आदि एतद द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व प्रवृत्त सभी नियमावली, संकल्प, अनुदेश, निर्देश अथवा नियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्यवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई कार्यवाई मानी जायेगी मानो यह उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसी कार्यवाई की गयी थी अथवा वैसा कुछ किया गया था।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आर० के० महाजन,  
प्रधान सचिव।

*The 13th February 2015*

No. 10/Mu 1-53/2014-101—In exercise of the power conferred under Section-22 of the Bihar Sanskrit Shiksha Board Act 1981 (Bihar Act No. 31 of 1982), the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for the constitution of the Managing Committee of the Schools :-

**1. Short title, extent and commencement .-**(1) These rules may be called The Bihar State Recognised Non-Government Sanskrit Schools (up to Madhyama Standard) Managing Committee Constitution Rules, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar and it will be binding on all the recognised Non-Government Sanskrit Schools (up to Madhyama Standard).

(3) It shall come in to force at once and constitution of the Managing Committee shall be started under these rules. From the date of constitution of the New Managing Committees under these rules, the old Committees or Ad-hoc Committees shall automatically stand dissolved.

**2. Definitions.-** In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context -

- (i) 'Government' means Bihar Government;
- (ii) 'Department' means Education Department;
- (iii) 'the Act' means the Bihar Sanskrit Shiksha Board Act, 1981;
- (iv) 'Board' means Bihar Sanskrit Board, constituted under Bihar Sanskrit Shiksha Board Act, 1981;
- (v) 'Chairman' means Chairman of Bihar Sanskrit Shiksha Board;
- (vi) 'Secretary' means Secretary of Bihar Sanskrit Shiksha Board;
- (vii) 'Recognition' means Recognised Non-Government Sanskrit School by the Government of Bihar, Education Department, Patna;
- (viii) 'School' means Recognized Non-Government Sanskrit Schools (up to Madhyama Standard) by the Education Department;
- (ix) 'Headmaster' means the Headmaster of recognized Non-Government Sanskrit Schools (up to Madhyama Standard);
- (x) 'Assistant teacher' means Assistant teacher of a recognized Non-Government Sanskrit Schools (up to Madhyama Standard);
- (xi) 'Managing Committee' means School Managing Committee of Non-Government Sanskrit Schools (up to Madhyama Standard) constituted under The Managing Committee Rules 2015.
- (xii) 'Recognised Non-Government Sanskrit Schools (up to Madhyama Standard)' means-
  - (i) Non-Government Recognised Primary Sanskrit School - From Class I to V
  - (ii) Non-Government Recognised Middle Sanskrit School - From Class VI to VIII
  - (iii) Non-Government Recognised Primary cum Middle Sanskrit School - From Class I to VIII
  - (iv) Non-Government Recognised Madhyamik Sanskrit School - From Class VI to X
  - (v) Non-Government Recognised Primary Cum High Sanskrit School - From Class I to X
- (xiii) 'Non teaching staff' means all other fulltime employees except teachers of Non-Government Recognised Sanskrit Schools (Up to Madhyama Standard)
- (xiv) Modern subject means-
  - (a) Manviki subject group
  - (b) Science subject group
  - (c) Mathematics
  - (d) Vocational subject group
  - (e) Lalit Kala
  - (f) Home Science

**3. Constitution of the School Managing Committee .-**A School Managing Committee will be constituted consisting of the following members for every Recognised Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard):-

- (i) Headmaster of the School-Ex-Officio;
- (ii) A teacher representative nominated by the headmaster who is senior amongst the teachers in the concerned School according to the annual rotation;
- (iii) Local Member of the Legislative Assembly/Member of the Council (if any from that constituency)/ Member of the Lok Sabha/ Member of the Rajya Sabha (if any from that constituency)/Block Education Officer;
- (iv) Two Donor members who have donated as movable or immovable property in both ways minimum of 10,000/- (ten thousand) to the School, but the donated amount in the shape of movable property must have been deposited in the pass book/account of the School or the immovable property worth minimum 10,000/- (ten thousand) must have been utilized in the School. Declaration of the Donor (Lifetime Donor and General Donor) shall be made by the Chairman of the Sanskrit Shiksha Board after necessary verification;
- (v) Two Guardian Representatives (one male and one female) who are the guardians of those regular boy/girl students who have been studying in that Recognised School for at least two years and have secured highest marks in the school examination. The Guardian Representative shall not be a teacher, a non-teaching staff or any relative of the Headmaster/Teacher/Non-teaching staff of the said school;
- (vi) Two Educationists in which one should be eminent Sanskrit Scholar. If eminent Sanskrit Scholar is not available then any person having interest in Sanskrit subject shall be taken in their places;
- (vii) Inclusion of a female member and a Schedule Caste/Schedule Tribe member in the committee will be compulsory.

School Managing Committee will be constituted from the above members.

**4. Donor Member.-**(1) Where there are more than two donors, the Donor members shall be selected in every three years by rotation firstly according to the maximum donated amount by the Donor and if donated amount is equal or the date is same then the members shall be selected by lottery method.

(2) Where Donor member is not available, the post shall remain vacant until availability of Donor of that category.

(3) Such persons shall also be the members who have donated minimum 10,000/- (ten thousand) in maximum four instalments within a period of two years with proof thereof to the School, but they shall be entitled to be the members only after donating whole amount.

**5. Lifetime Member.-**A person, who has donated at least 25,000/- (Twenty five thousand) in shape of movable, immovable or both property to the School with proof thereof, shall be a Lifetime Member of the School Managing Committee after the date of commencement of these Rules. Lifetime member may be more than one. Donor Member shall not be hereditary. After the death of Donor Member, his legal heir shall not be the Donor members. If they want to be a Donor Member, they will have to donate with proof to the School then. They may be included in the donor list.

**6. Process of constitution of Managing Committee .-**(1) After publication of this Notification in the Bihar Gazette and within fifteen days information of order by the Bihar Sanskrit Shiksha Board to this respect, the headmaster of the school will send total three names of the members of teacher representative, Member of the Legislative Assembly/Member of the Parliament/ Block Education Officer, where one Donor member is available, names of total four members and where two Donor members, name of five

members will be sent to Bihar Sanskrit Shiksha Board for approval. If the post of headmaster is vacant, the senior most teacher of the School shall send those names.

(2) Within 15 days of receipt of approved nomination from the Bihar Sanskrit Shiksha Board, the Headmaster of the concerned school shall convene a meeting of the Managing Committee by giving seven days prior notice with proof to the approved members at the school building wherein two Guardian Representatives and two Educationist Members shall be selected. Amongst the Educationist Members, one member must be an eminent Sanskrit scholar. If an eminent Sanskrit scholar is not available, in that place a person having interest in Sanskrit may be selected.

(3) In the said meeting, one of the members from the approved list shall preside over the meeting and under whose chairmanship selection work would be done. In case of three or five approved members on equal vote the vote of The Chairman will be casting vote. In case of four approved members, the Chairman could not utilize his vote.

(4) Within 15 days of completion of the aforesaid selection process, the headmaster shall convene a meeting of all the members in School building by giving minimum one week prior notice with proof thereof. The meeting shall be headed by any of the members present in the meeting wherein selection of the Chairman and Secretary of the Managing Committee shall be made unanimously or by majority of votes. Presence of minimum five members in this meeting shall be compulsory. Headmaster and teacher representative shall not be selected as Chairman or Secretary of the School Managing Committee.

(5) The Headmaster/Headmaster in-charge (senior most teachers) shall send the list of officers and members of the constituted School Managing Committee to the Sanskrit Shiksha Board for its approval. The constituted Managing Committee shall start functioning only after approval of the Board. If the Board did not approve the constitution of the Managing Committee and the Managing Committee started its functioning, then the work done by the Managing Committee shall be deemed to be illegal.

(6) The tenure of the approved Managing Committee (after approval by the Board) shall be of three years. The Managing Committee constituted properly and approved by the Board shall not be dissolved before its tenure. A new Managing Committee shall be constituted after every three years.

(7) If the Managing Committee does not work according to the provisions of the rules or does not follow the instructions of the Government, the Bihar Sanskrit Shiksha Board shall dissolve the Managing Committee after receiving the investigation report from the concerned District Education Officer.

(8) Until the School Managing Committee or in that place ad-hoc committee is constituted under this notification, the old Managing Committee shall be in function after getting approval/permission of the Sanskrit Shiksha Board but the tenure of the old Managing Committee shall be extended maximum for a period of six months only.

**7. Functions and Powers of the School Managing Committee.**-The Managing Committee shall have all the powers under rules, orders and instructions issued, from time to time, by the Education Department of the State Government as well as Bihar Sanskrit Shiksha Board and it shall exercise its all such powers which may be necessary for proper management, administration and development of the school. In addition to above, the Managing Committee shall have following functions :-

- (i) To take donation, to purchase or to take on lease any movable or immovable property, essential for the purpose of the School or otherwise raise money and utilize the same for construction of school building, renovation of the constructed building and other developmental works as also protect the school properties;



- (ii) to take donation, subscription for the purposes of the School;
- (iii) to keep proper books of accounts in respect of all such properties/money which is received through donations or from other sources for the school and prepare annual statement of the account and to get the same audited yearly.
- (iv) to regularize the expenditure within the available fund;
- (v) to arrange money for scholarship, prize etc. in addition to Government grant.
- (vi) to make proper arrangement for establishment of hostel, play ground furniture and library for the School;
- (vii) to constitute such Sub-committees which it may deem necessary for the development of students of the school;
- (viii) to do all the statutory/legal/legitimate works on behalf of the School and to protest the improper allegations;
- (ix) To keep discipline in the School and to give proper advice to the headmaster to enhance the educational standards of the School;
- (x) To make appointment of the school headmaster, teachers and non-teaching staff, to grant leave, to give promotion to the teachers etc. in light of the Service Condition Notification 2015 notified for the teachers of Non-Government Sanskrit School (up to madhyama standard) by the Education Department, Government of Bihar.
- (xi) To do all such works which deem necessary in the interest of the School.

#### **8. Functions and powers of the Secretary of the School Managing Committee.-**

(1) Functions and powers of the Secretary of the School Managing Committee will be such which are described in Rule 7 of those Rules performed and exercised and which may be with the advice of the Managing Committee by the Secretary.

(2) The Secretary shall convene meeting of the Managing Committee of the School after giving prior notice of at least 10 days. In Special circumstances, Special meeting shall be convened by serving prior notice of three days. "General or Special Meeting" of the Committee shall be held in the School Building with prior notice with fixed date and time.

(3) The secretary may sanction different type of leaves relating to the Head master in light of the rules provided in Rule 14 of the Bihar State Non-Government Sanskrit High School (up to madhyama standard) Teacher Service Condition Rules, 2015.

#### **9. Functions and powers of the Chairman of the School Managing Committee.-**

(1) The Chairman of the Managing Committee shall preside over General/Special kinds of all meetings of the School Managing Committee.

(2) On equal vote on an issue in the meeting of the Committee, the Chairman shall exercise his voting right which will be casting vote.

(3) If the Secretary does not convene the meeting of the School Managing Committee in time and if it appears to be essential to convene the meeting in the interest of the School, the Chairman may convene the meeting in consultation with the headmaster.

(4) In the absence of the Chairman of the managing committee, an Acting Chairman shall be elected amongst the members present in the meeting who will preside over the meeting.

#### **10. Ad-hoc Committee.-**

(i) After publication of these rules in the Bihar Gazette and within 90 days from the after intimation of the order of constitution of the Managing Committee of the schools by the Board, the Constitution of the School Managing Committee will be essential. If the School Managing Committee is not constituted within prescribed period then the Board shall issue show cause notice to the School by giving one month time and on not receiving

explanation within the said period or in want of satisfactory explanation, The Board shall have right to constitute Adhoc Committee in place of School Managing Committee.

(2) Without adherence to the aforesaid provision, no Ad-hoc Committee shall be constituted. If any does so it will not be as per rule. Without adherence to the aforesaid provision, the Board (not Chairman) (Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board) will not constitute Ad-hoc Committee. No Ad-hoc Committee shall commence its work without having prior approval of the Board and if such an act is done without approval, it deemed to be illegal.

(3) The powers and functions of the Ad-hoc Committee will be the same which are specified in the Notification for the School Managing Committee, but the Ad-hoc Committee will not have the power to make any appointment/promotion.

(4) There shall be three or five members in total in the Ad-hoc Committee among which there will be one Secretary and one Chairman. The headmaster must be its member, but he will not be Secretary or Chairman. The tenure of the Ad-hoc Committee will be maximum for six months. In special circumstances, the Board may extend its tenure twice for six months.

**11. Taking over of the management of the School.**-(1) Notwithstanding of anything contrary to any law for the time being enforced when it appears to the Board that Managing Committee of any School has disobeyed the rules and sub rules specified in this Notification or shows negligence in performance of imposed duties or fails in proper Management of the School and has become essential to take over the Managing Committee of the school in the public interest, the Board shall issue show cause notice to the Managing Committee against the proposed proceeding by giving notice of maximum 30 days and on receipt of written statement and on finding the clarification unsatisfactory, after dissolution of the Managing Committee of such School he shall constitute the Ad-hoc Committee and will decide that in how many period the new Managing Committee will take charge of the management but such period shall not be more than total one and half years.

(2) In special circumstances, if the Board considers necessary, it may suspend the Managing Committee of such School until the decision for the dissolution of that Managing Committee is taken. Management of such school will be made by the person or person's deputed by the Board.

**12. Disposal of the disputes with regard to constitution of the School Managing Committee and the decisions taken by the Managing Committee .-** Any party aggrieved with change or negligency with regard to any rules in constitution of the school Managing Committee, mentioned in Rule 3 of these Rules may file a complaint before the Board within 60 days from the date of its constitution. After that period no complaint shall be heard. After scrutiny of the complaint filed within the prescribed period and after hearing the parties, The Board shall take a decision, which shall be final. If any teacher/non-teaching staff of the School is aggrieved by any order of punishment/decision of the Managing Committee, he may file an appeal within 60 days before the Chairman of the Bihar Sanskrit Shiksha Board, who shall pass appropriate order after hearing the parties and if any person aggrieved with the decision of the Board or Chairman of the Board he may prefer an appeal within 60 (Sixty) days before the Special Director, Secondary Education and the Special Director after giving full opportunity to hear the aggrieved and concerned person shall deliver his decision.

**13. Meeting of Managing Committee of the School .-** Normally there shall be four meetings of the School Managing Committee in every year it must be held in every three months compulsorily. Presence of minimum five members in the meeting will be compulsory. If any member of the committee except Ex-officio member, Donor member

and lifetime member, is absented himself in three consecutive meetings of the committee without there being any valid & proper reason, he ceased to be member of the committee automatically and new member shall be appointed against the said vacancy. The committee itself competent to take a decision on the vacancy caused by such absence and that shall be final.

**14. Representation by the Donor members .-**If a Donor member so desires, he can depute/authorize any person on his behalf/place for the entire period of the School Managing Committee, till his lifetime but this deputation will admission till the life time of the doner member.

**15. Exchange and sale of permanent property of the School .-**If it is desirable or essential in the interest of the School to exchange or sale its permanent property, the Managing Committee of the school shall do so after taking prior approval of the Board but the profit accrued from its exchange or sale shall have to be intimated to the Board with proof thereof and all the records/register shall be kept and maintained in the office of the School.

**16. Registration .-** It will be essential for the School Managing Committee to register itself under the Society Registration Act, 1860.

**17. Repeal and Savings .-(1)**From the date of commencement of these Rules, all pervious Rules, Resolutions, Orders, and Instructions etc. relating to Managing Committee are hereby repealed.

(2) Not with standing such repeal, any action taken or any thing done under the previous Rules, Resolutions, Orders, Instructions prior to commencement of these rules will be deemed to be taken or done under these rules as at these Rules come in to force on that day on which such action was taken or such thing was done.

By order of the Governor of Bihar,

**R. K. MAHAJAN,**

*Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 337-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>